न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

रिहाल बनाम सरकार ..... मुकदमा नं. 118/2015

दुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस दुक्म की तामील में जारी हुए
आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित मूलवाद पक्षकारों के वकील की सहमति पर खारिज हो चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 312 R.T.A. Act खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर अपील ऐक्ट की धारा 5 के तहत मीयाद में दाखिल हो। 5/8/18	बाबत प्रार्थना पत्र में शामिल होने के कारण प्रार्थना पत्र में कोई आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। रिहाल

अध्यक्ष
(उपखण्ड अधिकारी)
राजस्व लोक अदालत
थानागाजी (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner